



‘रफिॉरम्स ऑन मेडसिनिस्’ रपिॉरट पर बात नहीं करेंगे अमेरिका और डब्लूएचओ

समाचारों में क्यों

‘नॉलेज इकोलॉजी इंटरनेशनल’ जो कसिभी देशों को तकनीकी सलाह देने वाला एक गैर-लाभकारी संगठन है, के अनुसार अमेरिका और वशि्व स्वास्थय संगठन दोनों ही भारत के उस प्रस्ताव पर वचिार करने के इच्छुक नहीं हैं जसिमें भारत यह चाहता था कसिंयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ज़ारी “रफिॉरम्स ऑन मेडसिनिस्” रपिॉरट पर चर्चा की जाए। गौरतलब है कि “रफिॉरम्स ऑन मेडसिनिस्” रपिॉरट भारत सहति तमाम वकिसशील देशों की सस्ती दवाओं तक पहुँच सुनिश्चति कराने की वकालत करता वशिषज्जों के सुझावों के आधार पर बनाया हुआ एक अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण रपिॉरट है।

भारत के लयि यह रपिॉरट महत्त्वपूर्ण क्यों?

संयुक्त राष्ट्र की इस रपिॉरट को तैयार करने वाले दल में दुनियाभर के वशिषज्ज शामिल थे और यह रपिॉरट स्पष्ट तौर पर पश्चिमी सरकारों और वहाँ की फार्मा कंपनयिों द्वारा वकिसशील देशों पर डाले जा रहे राजनीतिक और आर्थिक दबावों को रेखांकति करती है। गौरतलब है किवकिसति देशों की कोशशि होती है किवकिसशील देशों की कम कीमत की जेनेरिक दवाओं तक पहुँच और उनके संरक्षण से संबंधति कानूनों और नीतयिों को बेअसर कयिा जाए। रपिॉरट में यह भी लखिा है कियह दबाव मानवाधिकार और जन-स्वास्थय की बाधयताओं को पूरा करने की राह में रोड़े अटकाता है।

इस रपिॉरट पर चर्चा क्यों होनी चाहयि?

भारत को अमेरिका की बजिनेस लॉबी और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधयिों की ओर से आरोपति दोहरे दबाव का प्रतिकार करने के लयि इस रपिॉरट का इस्तेमाल करना चाहयि, ताकविह अपनी पेटेंट व्यवस्था में जन-स्वास्थय के दायतयिों पर अमल कर सके। यह रपिॉरट वभिनिन व्यापार समझौतों, खासतौर से यूरोपीय संघ-भारत एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) और हाल की आरसीईपी वार्ता (रजिनल कॉम्प्रहेन्सिवि इकोनॉमिक पार्टनरशिपि) में अपना पक्ष रखने की भारत की स्थतितिको मज़बूत कर सकता है।

नषिकर्ष

भारत नरितर बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधति ‘ट्रपिस प्लस’ (द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रलैटेड ऑसपेक्ट्स ऑफ इंटलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स) के उन उपायों को खारजि करता आया है, जनिके जरयि कम कीमत की जेनेरिक दवाओं पर बहुराष्ट्रीय दवा कंपनयिों अपना एकाधिकार बनाना चाहती हैं। बौद्धिक संपदा से संबंधति मुद्दों पर भारत की स्थतितिको अब वभिनिन देशों का समर्थन भी मलि रहा है। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय दल ने वशि्व व्यापार संगठन के सदस्यो से आग्रह कयिा है किवै वकिसशील देशों को ट्रपिस समझौते के अनुच्छेद 27 में दयि गए प्रावधानों का फायदा उठाकर अपने देश के जन-स्वास्थय अनुरूप अन्वेषण कारयों को अंजाम देने तथा पेटेंट संबंधी अधिकारों तथा परभाषाओं को अपनी ज़रूरतों के अनुसार लागू करने के लयि प्रोत्साहति करें। भारत की चतितियों का समुचति संज्जान लेने वाली इस रपिॉरट पर चर्चा तो होनी ही चाहयि और भारत को इसके लयि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना होगा, भारत यदियन्य वकिसशील देशों को एक मंच पर लाकर इस दशिा में प्रयास करे तो यह और भी श्रेयस्कर होगा।